[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–22 एच०एल०ए०

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2026

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। *संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।*

(2) यह 22 जुलाई, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 की धारा 6 की उप–धारा (3) के परन्तुक में, "दस" शब्द के स्थान पर, "पन्द्रह" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। *2016 के हरियाणा अधिनियम 18 की धारा 6 का संशोधन।*

3. (1) हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। *निरसन तथा व्यावृत्ति।*

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016, को 14.09.2016 को इस उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था कि हरियाणा के महाधिवक्ता के कार्यालय में कानून अधिकारियों की नियुक्ति की एक पारदर्शी, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ प्रणाली प्रदान की जा सके, तथा इससे जुड़े या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था की जा सके। परिवर्तित परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से "भारतीय न्याय संहिता 2023" के लागू होने के साथ जिसके तहत (लगभग) बीस नए अपराध जोड़े गए हैं, कई अपराधों के लिए कारावास की सजा और जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है, तथा कुछ अपराधों के लिए सामुदायिक सेवायें (Community Service) की सजा का प्रावधान भी पेश किया गया है विशेष योग्यता और अनुभव के आधार पर अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के तहत नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ताओं की संख्या को विशेष प्रकृति के मामलों से निपटने के लिए 10 से बढ़ाकर 15 करने की आवश्यकता है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 27 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से.,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 27 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अधिनियम, 2020 से उद्धरण

X X X X X X

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के परन्तुक में, पांच शब्द के स्थान पर, दस शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 2016 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 6 का संशोधन

X X X X X X

12832—H.V.S.—H.G.P., Pkl.